न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- श्री के.आर. खोड, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या - 146/2017 दिनांक 2/6/17

1. भूरी देवी पत्नि श्याम सुन्दर ब्राहम्ण जाति ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी सांखडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
2. सीताराम पिता नाराण ब्राहम्ण जाति ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी सांखडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
3. श्यामसुन्दर पिता बंशीलाल ब्राहम्ण जाति ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी सांखडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1. नारायण पिता बलदेव गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सांखडा तहसील कोटडी
2. मिठू पिता मोहन गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सांखडा तहसील कोटडी
3. रामफुल पिता इन्द्रा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सांखडा तहसील कोटडी
4. लक्ष्मणसिंह राजपूत गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सांखडा तहसील कोटडी
5. बालू पिता मोहन गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सांखडा तहसील कोटडी
6. भागुता पिता मांगु गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सांखडा तहसील कोटडी
7. भीमडा पिता मांगु गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सांखडा तहसील कोटडी
8. गोपाल पिता बालू गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सांखडा तहसील कोटडी
9. महेश पिता मिठू गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सांखडा तहसील कोटडी
10. राजस्थान राज्य जरिये भु- धारक तहसीलदार महोदय कोटडी जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

-:: निर्णय ::-

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम - सांखडा, पटवार हल्का - सांखडा, भू.अ.नि.क्षैत्र छापडेल, तहसील- कोटडी, जिला-भीलवाडा की खाता सं. 437 की आराजी सं. 272 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा व खाता संख्या 828 की आराजी संख्या 274 बीघा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 275 रकबा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 282 रकबा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 283 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 831 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 1085 रकबा 17 बिस्वा कुलकीता 6 कुल रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा व खाता संख्या 831 की आराजी 273 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा** भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/सयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संबंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नही होता है। विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नही होता है। खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत किये जाते है एवं संबंधित भू.अ.निरीक्षक **छापडेल** को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सुचित करने के उपरान्त पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

-:: आदेश ::-

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटडी के वाके **ग्राम - सांखडा, पटवार हल्का - सांखडा, भू.अ.नि.क्षैत्र छापडेल, तहसील- कोटडी, जिला-भीलवाडा की खाता सं. 437 की आराजी सं. 272 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा व खाता संख्या 828 की आराजी संख्या 274 बीघा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 275 रकबा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 282 रकबा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 283 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 831 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 1085 रकबा 17 बिस्वा कुलकीता 6 कुल रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा व खाता संख्या 831 की आराजी 273 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा** भूमि पर पत्थरगढी उभयपक्षकारान को सुचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढी की जावें एवं कब्जे संबंधी विवाद नही हो एवं हो तो कब्जा सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर प्राप्त करे। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 500 रूपये वक्त पत्थरगढी कमिश्नर भू.अ. निरीक्षक को जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ.निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी की जाकर पालना करे।

उपखण्ड अधिकारी कोटडी
जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी कोटडी
जिला भीलवाडा